न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 22 / 2023

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –
1. हेमराज महेश्वरी पुत्र देउमल जाति महेश्वरी निवासी गडरारोड, तह0 गडरारोड, जिला बाड़मेर (मैसर्स हेमराज देउमल, गडरारोड, तह0 गडरारोड, जिला बाड़मेर का विक्रेता एवं मालिक)
2. श्रीमती प्रियंका मालू पत्नी राजेश मालू निवासी कल्याणपुरा, बाड़मेर (मैसर्स महावीर एग्रो फूड इण्डस्ट्रीज, जी–1,254, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भूरचन्द जांगिड़, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.06.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान **मैसर्स हेमराज देउमल, गडरारोड, तह0 गडरारोड, जिला बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **17.02.2023** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **चिली पाउडर (एचसीएम किंग ब्राण्ड)** के 500–500 ग्राम के 15 पैकेट एक लकड़ी की रैक में रखे हुए थे, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500–500 ग्राम के **04 पैकेट मूल ही सील्ड अवस्था में चिली पाउडर (एचसीएम किंग ब्राण्ड)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1874** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **चिली पाउडर (एचसीएम किंग ब्राण्ड)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक **28.02.2023** में उक्त खाद्य पदार्थ **चिली पाउडर (एचसीएम किंग ब्राण्ड)** का नमूना को

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

मिथ्याछाप (Misbranded) बताया गया जिसकी अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को गजट नोटिफिकेशन द्वारा बाड़मेर के स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त नहीं किया गया है। इस कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थ का नमूना लेने का अधिकारी नहीं है। विप्रार्थी संख्या 1 उपर्युक्त कार्यवाही किये जाने के समय मौके पर उपलब्ध नहीं था। विप्रार्थीगण को इस प्रकरण में गलत पक्षकार बनाया गया है। खाद्य निरीक्षक द्वारा प्रकरण में की गई एकपक्षीय कार्यवाही स्वतंत्र गवाहों के अभाव में उचित नहीं है। प्रकरण में दर्शाई गई समस्त कार्यवाही परिवादी द्वारा एकपक्षीय रूप से कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है। विप्रार्थी मात्र एक व्यापारी है जो माल को खरीदकर उसका विक्रय करता है, उसे सही व नकली की परख नहीं है। अगर कोई माल मिथ्याछाप होना पाया जाता है तो उसकी जवाबदारी विप्रार्थी की नहीं है। लिहाजा विप्रार्थीगण के विरूद्ध उपर्युक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **28.02.2023** में उक्त नमूना **मिथ्याछाप** स्तर का पाया गया है। इस पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 46 की उप–धारा 4 के अधीन नोटिस जारी किया गया किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिरक्षण में खाद्य पदार्थ के मिथ्याछाप पाये जाने के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यपरक जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थीगण जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 पर **रूपये 10000/–** एवं अप्रार्थी संख्या 2 पर **रूपये 50000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर